न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-287/2020/टोंक

लक्ष्मणदास पुत्र श्री कुन्दनमल डासवाणी, उम्र 60 साल, जाति सिन्धी, निवासी निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निवाई।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निवाई।

--रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विद्वान निर्णय जिला कलक्टर, टोंक, प्रकरण संख्या 56/18 निर्णय दिनांक 03.02.2020 एवं तहसीलदार निवाई दिनांक 14.03.2005 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1781/2005

उपस्थित अभि0:–श्री मुकेश जैन (वकील अपी0)
श्री लोकपाल सिंह(वकील रेस्पो0 नम्बर 2)
श्री एम0एल0 गुर्जर(वकील रेस्पो0 नम्बर 1)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांक:–28.07.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निवाई द्वारा दिनांक 03.03.2005 को तहसीलदार निवाई के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक सड़क मध्य से 50 फिट निर्धारित सीमा में 10 फिट 6 इंच गुणा 7 फिट पर दुकान पर अतिक्रमण किया है अपीलांट को बेदखल किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। दिनांक 14.03.2005 को अपीलांट तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रस्तुत हुआ तथा लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें उसने यह बताया कि वह दुकान का मालिक व स्वामी है। यह दुकान नगरपालिका निवाई द्वारा उसको लीज पर दी गई थी। सैल डीड निरस्त नहीं की गई है। प्रशासन समिति के निर्णय दिनांक 13.01.1994 के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार किया गया और प्रस्ताव दिनांक 13.01.1994 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रकरण समझौता समिति में रखा गया और समझौते के तहत अपीलांट को उक्त भूमि बेच दी गई है। अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। इस विषय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट याचिका चंचल कुमार बन[illegible]र विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तहसील स्तर पर की जा रही कार्यवाही [illegible] नहीं है। धारा 91 के तहत जो नोटिस जारी किया गया उसको निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार निवाई ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार किये बिना ही दिनांक 19.03.2005 को आदेश पारित किया और अपीलांट को बेदखल करने के आदेश दिये। इस

आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत की। जो दिनांक 03.02.2020 को निरस्त कर दी गई। इस आदेश से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित आधार पर अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. तहसीलदार को शहरी क्षैत्र में स्थित भूमि पर किसी प्रकार कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है तहसीलदार सिर्फ कृषि भूमि जो कि सिवायचक हो उस पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसके द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

2. अपीलांट द्वारा उक्त दुकान के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 8899/2005 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 12.07.2018 को हुआ था। उक्त रिक्त याचिका में जिला कलक्टर टोंक को उक्त दुकान पर अपीलांट के पुराने कब्जे को देखते हुए अपील का निर्णय करने के लिए निर्देश दिया गया, मगर जिला कलक्टर टोंक द्वारा निर्देश की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो न्यायालय के निर्देश की अवहेलना है।

3. अपीलांट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.03.2005 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2005 को अपील जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 03.08.2016 को इस आधार पर फाइल कर दिया गया कि मामला उच्च न्यायालय राजस्थान में लम्बित है परंतु अपीलांट का लिबरटी दी गई थी कि वे उच्च न्यायालय में रिट याचिका का निस्तारण होने के पश्चात पुनः अपील करने लिए स्वतंत्र होगे। इस आधार पर अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसको उन्होनें बिना किसी किसी कारण के दिनांक 03.02.2020 को निरस्त कर दिया।

4. अपीलांट द्वारा किसी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट द्वारा विधिक तरीके से दुकान को प्राप्त किया है। उक्त भूमि जरिये किराये पर दिनांक 27.03.1974 को 300 रूपये प्रतिवर्ष किराये पर ली थी। जिसका आदेश दिनांक 02.04.1977 को हुआ था। उक्त दुकान का व्यवसायिक लाइसेंस दिनांक 02.04.1977 को जारी कर कब्जा अपीलांट को संभला दिया गया था। नगरपालिका निवाई द्वारा लीज एग्रीमेंट भी जारी किया गया। दिनांक 31.01.1976 को नजराना राशि 2567 रूपये जमा करायें। इसके बाद नगरपालिका निवाई द्वारा समझौता समिति के प्रस्ताव संख्या 1 को पारित किया गया तथा समझौते के तहत यह भूमि अपीलांट को विक्रय कर दी। जिसका अनुमोदन निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट अतिक्रमी न होकर भूमि का मालिक व स्वामी है। अपीलांट को उक्त दुकान 99 वर्ष की लीज पर दी गई है।

5. नगरपालिका निवाई द्वारा प्रशासन समिति के प्रस्ताव संख्या 111 दिनांक 10.10.1994 को आधार मानकर नजुल कमिटी के आदेश दिनांक 13.01.1994 को विवादित भूमि को नजराने पर दिये जाने के आदेश का आधार मानकर जिला कलक्टर टोंक द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह उचित नहीं है। क्योंकि उक्त आदेश दिनांक 13.01.1994 के विरूद्ध निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 05.12.1997 को हुआ। नगरपालिका निवाई ने निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की है। नगरपालिका निवाई द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में समझौता समिति व अपीलांट के बीच समझौता होकर जिसके आधार पर प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट को 99 वर्ष पर उक्त दुकान लीज पर लेने का निर्णय लिया गया। उक्त समझौता समिति में लिया गया निर्णय का अनुमोदन दिनांक 19.12.2021 डी0एल0बी के द्वारा लिए जाने के पश्चात नगरपालिका निवाई ने दिनांक 23.05.2005 को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका वापस ले ली। इस आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नगरपालिका निवाई की रिट याचिका निरस्त कर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बातो को न देखते हुए जिला कलक्टर टोंक द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह विधिसम्मत नहीं है।

6. निवाई कस्बे में बाईपास बनने के पश्चात शहर का रोड़ अरबन सिटी रोड़ होने से हाईवे की श्रेणी में नहीं आता है। वास्तव में भूमि रास्ते की है ही नही है। यह भूमि नगरपालिका सीमा में है तथा यह भूमि नगरपालिका की ही कहलायेगी। उक्त भूमि को गैरमुमकिन रास्ता बताया गया है। जिसके दोनो ओर दुकानें और मकान बने हुए है। रिपोर्ट पटवारी में खसरा नम्बर 3858 का रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन सड़क बताई गई है। उक्त भूमि शहर के बीचों–बीच बस स्टैंड के पास स्थित है तथा इस भूमि पर बनी हुई दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से पूर्व ही नगरपालिका निवाई द्वारा उन्हें किराये पर दी तथा उसके पश्चात समझौते के तहत लीज पर दी गई।

7. रोड़ के मध्य से अपीलांट की दुकान 30 फिट की दूरी पर है, जबकि इसी खसरा नम्बर में बहुत सारी दुकान और मकान 20 फिट की दूरी पर है। दिनांक 28.06.2012 को एक MOU सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगरपालिका के मध्य निस्पादित किया गया। जिसमें निवाई सिटी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नगरपालिका निवाई को हस्तानांतरित कर दिया। अतः अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोई अधिकार नहीं था इस बात को जिला कलक्टर टोंक द्वारा नहीं देखा गया। अंत में यह निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 19.03.2005 एवं जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को निरस्त करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा मुख्य रूप से उनके द्वारा यह बताया गया कि विधिपूर्वक विवादित दुकान का मालिक है तथा धारा 91 के तहत तहसीलदार निवाई को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा उसे अतिक्रमी मानते हुए जो निर्णय दिया गया है वह विधिविरूद्ध होने से तथा जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 03.02.2020 को अपील के निर्णय होने तक स्थगित रखा जायें। नही ंतो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, साथ ही सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायें।

अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 03.02.2020 तथा तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 14.03.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। साथ ही नीलामी सूचना नगरपालिका निवाई दिनांक 05.08.1977 फर्द नीलामी बोली दुकान पुख्ता दिनांक 16. 08.1977,17.08.1977 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

न्यायालय में अपील प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये, रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। दिनांक 12. 02.2020 अपीलांट के स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बात से रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा एक निगरानी अंतर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 12.02.2020 प्रकरण संख्या 287/2020 में राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई। इस पर निर्णय करते हुए राजस्व मण्डल ने राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखने के लिए तथा अपील का निस्तारण एक माह की अवधि में करने के आदेश जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस बहुपक्षीय सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया। भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होने से तहसीलदार का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। दिनांक 20.09.1977 को सर्वप्रथम हमें 6 महिने के लिए दुकान

किराये पर दी गई थी। समझौता समिति द्वारा दिनांक 04.06.2003 को नियमन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था। दिनांक 06.06.2003 को 12100 रूपये जमा कर लिये गये। दिनांक 14.01.2004 को लीज डीड की राशि 22730 रूपये जमा करवाये गये। पीड0डब्लय0ूडी द्वारा 2005 में शिकायत की गई। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में नगरपालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया। हम जिला कलक्टर के यहां हाईकोर्ट रिट निस्तारण के बाद गये। रेस्पो0 को वहां पर सारे आक्षेप उठाने थे। पहले उक्त जगह पर चुंगी नाका था बाद में चुंगी नाका अन्य जगह शिफट कर दिया गया। अन्य दुकाने और भी बनी हुई है। अन्य दुकानों को भी नगरपालिका द्वारा लीज डीड जारी की गई है। दिनांक 13.01.1994 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पट्टे देने बाबत निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भी 2018 तक स्टे दिया गया था तथा राजस्व मण्डल द्वारा भी अपील निस्ताण तक स्टे दिया गया था। विवादित खसरा नम्बर 3858 है। नगरपालिका निवाई द्वारा मुझे उक्त दुकान दी हुई है। दुकान पहले से बनी हुई थी। खुली नीलामी में बनी हुई दुकान हमें मिली। महावीर मेडिकल के नाम से दुकान संचालित है। सहायक अभियंता पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें सड़क के मध्य से 50 फिट के अंदर दुकान बताई गई थी। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किया गये। रेस्पो0 नम्बर 1 के अभि0 द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 3858 , ग्राम निवाई का है। उक्त खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग का होकर पी0डब्लयू0डी के नाम है। 10 फिट गुणा 7 फिट की दुकान है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिकायत पर तहसीलदार निवाई द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया था। जनहित याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। जिला कलक्टर टोंक के यहां अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 03.02.2020 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अंतरिम स्टे दिनांक 12.02.2020 को खारिज किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा कोई स्टे नहीं दिया गया। दिनांक 24.02.2020 को राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी को खारिज करते हुए एक माह में अपील के निस्तारण के निर्देश दिये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अपीलांट का कोई टाइटल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 3858 गैरमुमकिन सड़क होकर भारत सरकार के नाम दर्ज है। नगरपालिका को उक्त भूमि की लीज करने बाबत कोई अधिकार नहीं है। नियमन नहीं किया जा सकता है। इन दो दुकानों के अलावा सारी दुकाने हटा दी गई है। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बनाई गई थी। खसरा नम्बर 3858 से 1872 से जुड़ा हुआ है। उक्त भूमि भी नगरपालिका के नाम दर्ज नहीं है। रेस्पो0 नम्बर दो की तरफ से उनके अभि0 लोकपाल सिंह द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, उनके अनुसार उक्त दुकान का लाइसेंस रद्द हो चुका है एवं नगरपालिका द्वारा इनको हटाने का नोटिस दिया जा चुका है तथा जिला कलक्टर टोंक द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है।

बहस बहुपक्ष अभि0 सुनी गई, तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 19.03.2005 का अवलोकन किया है। उक्त निर्णय का ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार है–''**राजस्व रिकोर्ड, नकल जमाबंदी संवत 2058 लगायत 2061 के अनुसार खसरा नम्बर 3858 गैरमुमकिन सड़क व खसरा नम्बर 1872 चिकित्सा विभाग की सरकारी है। नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 3858 व 1872 एक–दूसरे से जुड़ी हुई है जिनके मध्य कोई आबादी/नगरपालिका/खातेदारी अधिकारी की भूमि नहीं है। इस भूमि को नगरपालिका द्वारा पट्टा/नजराना/लीज अथावा किराये पर दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस भूमि पर अप्रार्थी को कोई स्वामित्व,अधिकार व हित हासिल नहीं होता है एवं यदि उसने छल कपट से कोई दस्तावेज नगरपालिका से हासिल कर भी लिया है तो वह**

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्राधिकार के बाहर का एवं अवैधानिक प्रस्ताव है। अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3858 व सड़क सीमा की सार्वजनिक भूमि पर दुकान लगाकर अतिक्रमण किया है तथा वह अतिक्रमी की सीमा में आता है। उसे इस सीमा भूमि की खसरा नम्बर 3858 व सड़क सीमा से बेदखल किया जाता है तथा उक्त भूमि पर किये गये निर्माण को विधवंस किये जाने के आदेश दिये गये। समझौता समिति दिनांक 15.06.2000 के उस समय के सदस्यो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करावें।''

वर्तमान अपील जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 56/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध अपीलांट लेकर आया है। अपीलांट का यह मानना है कि एक दुकान लीज पर उनको नगरपालिका निवाई द्वारा दी गई है। वे अतिक्रमी नहीं है। दूसरा उनका यह कहना है कि और भी दुकाने उक्त खसरा नम्बर पर रोड़ पर बनी है। बहस के दौरान रेस्पो0 वकील द्वारा यह बताया गया कि विवादित क्षेत्र में मात्र दो ही दुकाने बची है। जिनमें से एक अपीलांट की दुकान है। अपीलांट ने बहस में यह भी बताया है कि नियमन बाबत भी ए0डी0सी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्देश दिये थे। इसका सीधा से अर्थ यही है कि अपीलांट मालिक नहीं है और किरायेदार है। मगर राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त दुकान खसरा नम्बर 3858 गैर मुमकीन सड़क एवं खसरा नम्बर 1872 अस्पताल की सड़क बाउन्ड्री हेतु छोड़ी गई भूमि में बतायी गयी है। इन दोनों खसरा नम्बरान के मध्य अन्य कोई आबादी अथवा नगरपालिका की भूमि नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को बेचान/किराये पर दिये जाने का कोई अधिकार नगर पालिका को नहीं था। नगर पालिका निवाई द्वारा श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री कुन्दन मल डासवाणी उक्त दुकान को नगर पालिका निवाई से जरिये नीलामी दिनांक 15.09.1977 को 107 रूपये प्रति माह की दर से किराये पर लिया था। अपीलांट को दुकान का व्यवसायिक लाइसेंस वर्ष 1978–79 हेतु दिनांक 07.11.1978 को जारी कर कब्जा दिया गया है। उसके पश्चात लीज एग्रीमेंट दिनांक 14.11.1979 को पुनः रिनिवल किया गया, परन्तु दुकान नेशनल हाईवे रोड पर होने से नजूल समिति द्वारा दिनांक 13.01.1994 को निरस्त कर दी गई। इस संबंध में न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के प्रकरण संख्या 32/2005 निर्णय दिनांक 05.09.2006 मदन गोपाल बनाम सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग निवाई की प्रति पेश कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर 3858 को लेकर न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील खारिज की गई है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इसी भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जयुपर ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.1996 के द्वारा भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को हटाये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस पर अतिक्रमियों ने एस0बी0सी रिव्यू पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 22.07.2005 को निरस्त हो चुकी है।

एक अन्य आक्षेप वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत तहसीलदार सिर्फ कृषि भूमि के संबंध में ही कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। जबकि राजस्व विभाग राजस्थान ,जयपुर की अधिसूचना पत्रावली–9(6)राज–6/13 दिनांक 02.07.2004 के तहत राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक पत्रावली 9(69)राज–4/74 दिनांक 30.01.1975 के द्वारा धारा 91 की जो शक्यिां पी0डब्लयू0डी के सहायक अभियंता को दी थी वह पुनः तहसीलदार व नायब तहसीलदार को दे दी गई है। एल0आर0एक्ट की धारा 88 व 103 के तहत सार्वजनिक सड़क मार्ग आदि पर अतिक्रम[illegible] की स्थिति में धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित तहसीलदार [illegible] हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगरपालिका निवाई के मध्य [illegible] दिनांक 28.06.2012 को निस्पादित किया गया है। जिसमें निवाई सिटी सड़[illegible] को नगरपालिका निवाई हस्तानांतरित किया गया है। क्योंकि भूमि गैर मुमकिन सड़क के रूप मे और परिवहन मंत्रालय भारत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

सरकार दिल्ली के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2058–61 में यह बात स्पष्ट है। ऐसी भूमि के पच्चास फिट की सीमा में कोई निर्माण नियमों के तहत नहीं किया जा सकता है। मगर नगरपालिका द्वारा बिना विधिक अधिकार के उक्त भूमि लीज पर दी गई थी। उक्त लीज नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव संख्या 111 दिनांक 10.10.1994 से किराया लाइसेंस प्रशासन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया। भूमि नगरपालिका के नाम कभी भी दर्ज नहीं रही है। उसे किराये पर देने का कोई अधिकार नही था। **एम0ओ0यू दिनांक 28.06.2012 में भी यह कहा गया है कि नगरपालिका निवाई उक्त सड़को को सार्वजनिक सड़क मार्ग उपयोग में ही ले सकेगा तथा सड़क का नियमित रखरखाव, सुद्रढीकरण, उन्नयन का कार्य नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है।** अपीलांट के अनुसार तहसीलदार में अपने निर्णय में नगरपालिका को पक्षकार नही बनाया। इस बात पर न्यायालय का यह मानना है कि उक्त भूमि कभी भी नगरपालिका के नाम नहीं रही है। एम0ओ0यू0 दिनांक 28.06.2012 से पूर्व उक्त सिटी रोड़ कभी नगरपालिका के नाम नहीं रही है। इस एम0ओ0यू से भी नगरपालिका को सिर्फ सड़क के विकास का कार्य सौंपा गया है। अतः अपीलांट का उक्त आक्षेप भी खारिज योगय है। सार रू॰ में विवादित खसरा नम्बर 3858 ग्राम निवाई कभी भी नगरपालिका निवाई के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रहा है। भूमि पूर्ण रूप से भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की है। जिस पर नगरपालिका निवाई को कभी भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा है। नगरपालिका निवाई उक्त भूमि को ना लीज पर दे सकती है, ना विक्रय कर सकती है, ना ही उक्त भूमि पर कोई निर्माण(दुकान), सड़क सीमा से 50 फिट की दूरी पर होने से कर सकती है। स्वयं नगरपालिका वकील द्वारा अपनी बहस में उक्त दुकान के लाइसेंस के निरस्त होने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि अतिक्रमण बाबत नोटिस भी जारी किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में माना जायेगा। उसका उक्त भूमि पर वह अपना कोई विधिक स्वामित्व सिद्ध नही कर पाया है। अपील खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील संख्या 287/2020 बउनवानी लक्ष्मणदास बनाम सहायक अभियंता एवं अन्य खारिज की जाती है। जिला कलक्टर टोक के निर्णय अन्तर्गत प्रकरण संख्या 56/58 निर्णय दिनांक 03.02.2020 एवं तहसीलदार निवाई के प्रकरण संख्या 1781/2005 निर्णय दिनांक 14.03.2005 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested